संख्या 1508 ई-2/तेरह-2022- 229956

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 26 अगस्त, 2022

विषय- मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर की स्वीकृत पेय क्षमता 80 लाख ली. वार्षिक को बढ़ाकर 190 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: जी -202/दो-प्रा. डी.-111/त्रिवेणी, दिनांक 29-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर की स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 770 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 80 लाख ली. वार्षिक को बढ़ाकर 190 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

(1) आसवनी की बढी हुई पेय क्षमता का प्रयोग करने से पूर्व आसवक द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली , 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) का अनुपालन किया जायेगा।

(3) आसवक द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा

(4) दिनांक 03-11-2010 को ई.एन.ए. संचय टैंक सं. ईएसटी-3 में अचानक आग लग जाने के कारण 1.60.374.9 अ.ली. ई.एन.ए. की क्षति होने के कारण आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के आदेश दिनांक 29-10-2021 द्वारा रू. 6,74,47,267.94/- पेनाल्टी वसूल किये जाने समबन्धी आदेश के विरूद्ध आसवक द्वारा मा न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 977/2021 में पारित निर्णय आसवक के लिए बाध्यकारी होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by राजवीर सिंह
Date: 26-08-2022 17:59:37
Reason: Approved

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव